

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या: 14  
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान शैक्षिक नुकसान

\*14. श्री संजय जाधव:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान विद्यालय बंद हो जाने के कारण हुए शैक्षिक नुकसान के संबंध में, विशेषकर दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संबंध में, कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान विद्यालय बंद हो जाने के कारण विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की कुल संख्या का कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान विद्यालय बंद हो जाने के कारण विद्यार्थियों को हुए शैक्षिक नुकसान की भरपाई करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु परीक्षा पद्धति में कोई बदलाव करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
शिक्षा मंत्री  
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

‘कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान शैक्षिक नुकसान’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संजय जाधव और श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पूछे जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण, छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के स्कूलों को बंद कर दिया गया। इससे प्री-स्कूलों से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कतिपय परामर्श बैठकें की हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा तीन साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा III, V, VIII और X पर केन्द्रित नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। एनएएस का अंतिम दौर 12 नवम्बर, 2021 को पूरे भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें संघ शासित राज्य दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप शामिल थे, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्र शामिल थे। एनएएस का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की स्थिति के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। एनएएस 2021 के लिए राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला रिपोर्ट 25.05.2022 को प्रकाशित की गई हैं। और <http://nas.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा तक पहुंच है और देश में स्कूली शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2021 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दिशा-निर्देश साझा किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 6-18 वर्ष की आयु के स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता सृजन, स्कूल बंद होने पर छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए निरंतर शिक्षा, स्कूल फिर से खुलने पर छात्र सहायता और शिक्षक क्षमता निर्माण शामिल हैं।

(घ): महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई परामर्श किए। लॉकडाउन के दौरान और बाद में छात्रों के बीच अधिगम अंतराल और/या हानि से संबंधित मुद्दों का

समाधान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 'वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेण्डर' तैयार किया है जो कक्षा 1 से 12 तक के लिए सप्ताहवार सीखने की योजना है। इसमें पाठ्यक्रम में शामिल विषयों/शीर्षकों से संबंधित दिलचस्प क्रियाकलाप और चुनौतियां हैं। इसमें अलग-अलग तरीके से अधिगम परिणामों के साथ विषयों/शीर्षकों को मैप किया गया है तथा छात्रों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों/अभिभावकों की सहायता की जाती है। साथ ही साथ जिन छात्रों की इंटरनेट तक पहुंच है, उनके लिए ई-संसाधनों हेतु लिंक्स भी दिए गए हैं। एनसीईआरटी ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स भी तैयार किया है, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं जो अधिगम अंतराल को पाटने में सहायक हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रत्येक ग्रेड के लिए प्रारंभिक एक या दो महीने के लिए शिक्षण-कक्षाओं में स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल/ब्रिज कोर्स तैयार करने और लागू करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा के मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- दीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडित एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)
- 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग- शिक्षावाणी
- डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेजी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई-सामग्री

स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात् पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वाधिक वंचितों सहित सभी तक सर्वोत्तम शिक्षण-अधिगम संसाधनों को पहुंचाना और छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना है।

समग्र शिक्षा के तत्वावधान में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा 5 जुलाई 2021 को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन "समझ के साथ पढ़ने और

संख्या ज्ञान में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)" की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय मिशन ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं और कार्रवाई एजेंडा निर्धारित करता है। कक्षा 1 के छात्रों के लिए विद्या प्रवेश मॉड्यूल शुरू किया गया है। यह कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए नाटक आधारित 3 महीने का स्कूल तैयारी कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त, अधिगम अंतराल को पाटने और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, इस विभाग ने सभी हितधारकों द्वारा किए जाने वाले कार्य / गतिविधियां, गतिविधियों का सांकेतिक वार्षिक कैलेंडर, मौजूदा कार्यक्रमलाप जिनका उपयोग किया जा सकता है और एकबारगी उपाय के रूप में धन के साथ अतिरिक्त सहायता का वर्णन करते हुए दिनांक 01.02.2022 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक व्यापक लर्निंग रिकवरी योजना साझा की है। इसे वेबलिनक [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/lpr\\_2023.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/lpr_2023.pdf) पर देख सकते हैं।

(ड.): सीबीएसई का परीक्षा पैटर्न सभी छात्रों के लिए समावेशी और समान है। सीबीएसई छात्रों की जरूरतों को समायोजित करने के लिए गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तेलगू और उर्दू की परीक्षा को अलग-अलग स्तरों (मूल और मानक) पर आयोजित करता है। बोर्ड किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना एक समान पाठ्यक्रम और एक समान परीक्षा निर्धारित करता है। हालांकि, विशेष छात्रों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के कारण, सीबीएसई विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अनुसार बेंचमार्क किए गए विकलांग उम्मीदवारों को कुछ छूट/रियायतें प्रदान करता है। साथ ही, बोर्ड टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित छात्रों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ खाने का सामान ले जाने की अनुमति देता है। बोर्ड उन विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करता है जो एसएआई/युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं ताकि उन छात्रों को विशेष अवसर देकर खेल में प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा सके।

\*\*\*\*\*